



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 आषाढ 1938 (श0)  
(सं0 पटना 541) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जून 2016

---

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं  
29 जून 2016

सं0 बिक्री-कर/विविध-43/2011-2384—बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-19 के उप-नियम (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त सभी निबंधित व्यवसायी को, सभी विवरणियों इलेक्ट्रॉनिक शीति से विभागीय वेबसाईट पर, अनिवार्य रूप से दाखिल करने का आदेश देते हैं।

2. यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

*The 29<sup>th</sup> June 2016*

No. Bikri Kar/Vividh-43/2011-2384—In exercise of the powers conferred by sub-rule (8) of Rule 19 of Bihar Value Added Tax Rules, 2005, the Commissioner is pleased to direct that all registered dealers shall be required to furnish all returns required to be furnished by them compulsorily by electronic means on the departmental website.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

By Order,  
SUJATA CHATURVEDI,  
Commissioner-cum-principal Secretary,  
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 541-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>